न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान ...... महेन्द्र ढोली ...... बनाम ...... रामस्वरूप ......

किस्म मुकदमा ...... रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र ...... अपील संख्या ...... 2024/204 ......

अभिभाषक अपीलान्ट ...... श्री घनश्याम नागर ...... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ...... श्री के.पी. मेहता ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
1-9.25	पत्रावली वास्ते रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली को को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पत्रावली का मेरिट पर निर्णय पारित किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि इस प्रकरण में सिविल न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 2 बारां राज. के आदेश दिनांक 23.05.2022 से स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। तीन साल बाद रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र गंभीर रूप से मियाद बाहर है। तथा इनका मूल दावा भी खारिज हो चुका है। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश दिनांक 23.05.2022 की छायाप्रति भी पेश की गयी। अभिभाषक अपीलांट द्वारा सिविल निर्णय के जानकारी नहीं होना बताया तथा मूल दावे के संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा अनभिज्ञता जाहिर की। हमने विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में सलंग्न दस्तावेज एवं अभिभाषक रेस्पोडेट द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.2022 का भी अवलोकन किया। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 2 बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.05.2022 से विवादित सम्पत्ति को मूल वाद के निस्तारण तक रहन या बेचान नहीं करने के संबंध (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान ...... महेन्द्र ढोली ...... बनाम ...... जगस्वरूप ......

किस्म मुकदमा ...... रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र ...... अकील संख्या ...... 2024/204 ......

अभिभाषक अपीलान्ट ...... श्री घनश्याम नागर ...... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ...... श्री ओ. पी. मेहता ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	में स्थगन आदेश पारित किया है। इससे यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण से संबंधित विवादित आराजी पर सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व में ही स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मेन्टेनेवल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर सारहीन होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। 01/09/2025	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी एवम पदेन भू प्रबन्ध अधिकारी कोटा राज0

महेन्द्र ढोली पुत्र श्री मूलचन्द जी जाति ढोली निवासी बोरखेडा कोटा राज0

अपीलान्ट / प्रार्थी

बनाम

1– रामस्वरूप उर्फ रामनारायण पुत्र बजरंगलाल जी जाति मेहर निवासी बमूलिया कला तहसील अन्ता जिला बांरा

2– घनश्याम पुत्र बजरंगलाल जाति मेहर निवासी बमूलिया कलां तहसील अन्ता जिला बांरा

3– राजस्थान सरकार जरये तहसीलदार तहसील अन्ता जिला बांरा

रेस्पो0 / अप्रार्थी

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 3–10–2008

न्यायालय सहायक कलेक्टर अन्ता

अपील स0 2020 / 00128

प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोरेशन अपील

मान्यवर,

प्रार्थी निम्न निवेदन करता है–

1– यह कि उपरोक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय मे जैरकार थी जिसमे गत तारीख पेशी 25–7–2022 नियत थी। उक्त दिनांक को अपीलान्ट व वकील साहब की अनुपस्थिति मे उक्त अपील अदम हाजरी मे खारिज करदी गई है।